भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5659

दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सीय लापरवाही के मामलों के लिए कानूनी ढांचा

†5659. श्री जी. कुमार नायकः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की चिकित्सकों के विरुद्ध अनुचित कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए चिकित्सीय लापरवाही और बिना इरादे के चिकित्सीय त्रुटियों के बीच अंतर करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा लागू करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है कि वास्तविक और नीतिपरक चिकित्सकों को अनुचित मुकदमेबाजी से बचाया जाए और लापरवाह चिकित्सकों को जवाबदेह ठहराया जाए;

(ग) सरकार द्वारा चिकित्सकों को कानूनी भय से बचाने और रोगी के अधिकारों और सुरक्षा को किस प्रकार संतुलित किए जाने की संभावना है और यह किस प्रकार सुनिश्चित किया जायेगा कि मुकदमेबाजी सक्षम चिकित्सकों को प्रैक्टिस करने से हतोत्साहित न करे;

(घ) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्णय केवल उपभोक्ता कानून की व्याख्या की बजाय चिकित्सा विशेषज्ञता पर आधारित हों, चिकित्सा लापरवाही के मामलों का आकलन करने के लिए एक-समान राष्ट्रीय दिशानिर्देश स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी), 2019 के तहत निर्मित व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता विनियम, 2002 के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए

पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर (आरएमपी) द्वारा व्यावसायिक कदाचार के संबंध में कोई भी शिकायत उपयुक्त चिकित्सा परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 30 राज्य चिकित्सा परिषद/आचार एवं चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (ईएमआरबी) को अधिनियम के तहत निर्मित नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा नैतिक कदाचार के किसी भी मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार देती है। उक्त अधिनियम में आरएमपी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देने का प्रावधान किया गया है। एसएमसी/ईएमआरबी के निर्णय के खिलाफ अपील का प्रावधान भी किया गया है।

****